

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या-547 / XVIII(3)/2025-03(06)/2016-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे शासन की अधिसूचना सं0-70/1-14-2000-49(2)-94-81 दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	रूदपुर

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 547/ XVIII(3)/2025-03(06)/2016 Dated- September 12, 2025 for general information.

NOTIFICATION

September 12, 2025

No. 547/XVIII(3)/2025-03(06)/2016--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declares that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81 dated March 10, 2000 Shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of village
1	2	3	4
Udham singh nagar	Sitarganj	Kilpuri	Rudapur

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 04-10-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 राजस्व/460-15-10-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)